

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

## लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश

96, महात्मा गाँधी मार्ग,  
लखनऊ।

पत्रांक 346 केम्प-प्र.अ.विकास/03(सू०-1)/17

दिनांक 13/05/17

### कार्यालय-ज्ञाप

मा० उप मुख्यमंत्री/लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि सभी निर्माणाधीन मार्गों पर न्यूनतम मार्ग के प्रारम्भ में एवं मार्ग के अन्त में तथा यथासम्भव बीच में भी बोर्ड लगाये जायें, जिन पर निम्नानुसार विवरण प्रेषित किया जाय:-

1. कार्य का नाम।
2. योजना का नाम।
3. स्वीकृत लागत।
4. फर्म का नाम।
5. कार्य प्रारम्भ की तिथि।
6. कार्य सम्पादित की तिथि।
7. ग्रेनुलर लेयर की मोटाई।
8. बिटुमिनस लेयर की मोटाई।
9. खण्ड का नाम।
10. अधिशासी अभियन्ता का नाम।

प्रायः यह शिकायत प्राप्त होती है कि निर्माण मार्गों पर लगाये गये बोर्ड असामाजिक तत्वों द्वारा काट दिये जाते हैं या चोरी हो जाते हैं, अतः यह आदेश दिये जाते हैं कि यह बोर्ड कांक्रीट के लगाये जायें एवं इसमें एकरूपता के लिए संलग्न ड्राईंग के अनुसार निर्माण कार्य कराया जाय।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

ह/-  
(वी० के० सिंह)  
प्रमुख अभियन्ता (विकास)  
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/ (परि०/नि०), लो०नि०वि०, उ०प्र०।
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० उ०प्र०।
3. मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि०, लखनऊ।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि०, उ०प्र० (ई-मेल द्वारा)।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, उ०प्र० (ई-मेल द्वारा)।

13/5/17  
प्रमुख अभियन्ता (विकास)  
विभागाध्यक्ष

